

FORM No. III


फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा
इण्डिया शेल्टर फाईनेंस बनाम श्रीमति रीना वगै

किस्म मुकद्दमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002

प्रकरण संख्या 114A वर्ष 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-10-2019	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 12/2018 आदेश दिनांक 13.03.2018 से प्रार्थीगण की सम्पत्ति म0नं0 146/बी, केशवपुरा क्षेत्रफल 29.69 वर्गयार्ड को सम्बन्धित वित्तीय संस्था इण्डिया शेल्टर फाईनेंस लि0 के सुपुर्दगी में देने बाबत आदेश जारी किया गया था के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रार्थी के मकान पर ताला लगा दिया गया जिस कारण प्रार्थीगण की दैनिक उपयोग उपभोग की वस्तुये व किताबे उक्त मकान के अन्दर ही रह गये है, जिससे कि प्रार्थीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण की दैनिक उपयोग उपभोग की वस्तुये प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पूर्व आदेश का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि सम्बन्धित वित्तीय संस्था के प्रार्थी का मकान गिरवी रखा गया था, न कि अन्दर रखे हुए सामान इसलिए प्रार्थी के मकान में अन्दर रखी जरूरी दैनिक उपयोग के सामान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रकरण संख्या 12/2018 आदेश दिनांक 13.03.2018 की अनुपालना में पुलिस इमदाद के साथ उक्त मकान म0नं0 146/बी, केशवपुरा क्षेत्रफल 29.69 वर्गयार्ड को शील्ड किया जाकर कब्जा सम्बन्धित वित्तीय संस्था को दिलाया गया है को पुनः पुलिस इमदाद के साथ प्रार्थी की उपस्थिति में खोला जाकर मकान के अन्दर रखे दैनिक उपयोग के सामान प्रार्थी को सूचीबद्ध किया जाकर संभलाया जावे। उक्त कार्यवाही पश्चात पूर्व आदेश दिनांक 13.3.2018 की पालना कायम रखी जावे। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर) एवं सम्बन्धित वित्तीय संस्था को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र फैशल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	